आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
07/04/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 30/2016** **सुरेश प्रसाद व अन्य बनाम् राज्य एवं सुनील तिर्की व अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण उपायुक्त न्यायालय द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–130-R15/2014-15 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। उपायुक्त, न्यायालय द्वारा ग्राम–हेहल, खाता नम्बर–205, प्लॉट नम्बर–1518 में अवस्थित 06 कट्ठा भूमि को आदिवासी रैयत के पक्ष में वापस करने का आदेश पारित किया गया था। प्रश्नगत् वाद दायर करने के पश्चात् एक भी तिथि को आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। जिस कारण यह वाद अभी तक सुनवाई हेतु अंगीकृत नहीं किया जा सका। आवेदकों को उनका पक्ष रखने हेतु दिनांक–21.03.2022 तथा 28.03.2022 को अंतिम मौका दिया गया था किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। उपायुक्त द्वारा सम्पूर्ण बिन्दुओं पर आवश्यक स्थल जाँच करते हुये विशेष विनियमन पदाधिकारी के स्तर से अवैध तरीके से एवं गलत तथ्यों के आधार पर पारित भूमि हस्तांतरण के नियमतीकरण को रद्द किया गया था क्योंकि विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश कतिपय अन्य कारणों पर उचित तथ्यों की जाँच किये बिना पारित किये गये थे। अतः सभी बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुये उक्त आदेश को खारिज कर दिया गया। स्पष्टतः इस विषय में कोई अनियमितता नहीं है। आवेदक की लगातार अनुपस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें इस वाद के संचालन में कोई अभिरूचि नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 7/4/22 प्रमण्डलीय आयुक्त 7/4/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.08 17:06:07 +05:30
Location: 192.168.1.40